Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arms Appeal No.- 18 /2023

Pradeep Kumar Deo .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Anr. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.5. 2025	**आदेश** यह आर्म्स अपील वाद रिट याचिका संख्या-3120/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक-15.09.2022 के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-76/शस्त्र, दिनांक-28.03.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-29.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-19/2005 को जिला दण्डाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-76/शस्त्र, दिनांक-28.03.2019 के द्वारा निलंबित किया गया। उक्त आदेश जिला स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमिटि के कार्यवाही के अनुशंसा के आधार पर निर्गत किया गया है। जिसके कंडिका-2 में यह अंकित है कि "पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा बताया गया कि श्री प्रदीप देव, पिता-स्व0 रामनारायण लाल देव, सा0 मटियारी भट्टाबाड़ी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया (अनुज्ञप्ति संख्या-19/05), जो थाना कांड संख्या-242/17, दिनांक-09.04.2017, कांड संख्या-243/17, दिनांक-10.04.2017, कांड संख्या-244/17, दिनांक-10.04.2017 एवं कांड संख्या-15/97, दिनांक-14.01.1997 में नामजद अभियुक्त हैं एवं श्री उदयानंद झा, पिता-स्व0 देवानंद झा, सा0-मदनपुर, थाना-अररिया, जिला-अररिया (अनुज्ञप्ति संख्या-53/08), जो मदनपुर ओ0पी0 थाना कांड संख्या-38/11, दिनांक-27.01.2011 के नामजद अभियुक्त हैं। इस संबंध में श्री देव के अनुज्ञप्ति को निलंबित एवं श्री झा के अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कमिटि के द्वारा की गई।" शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करने का प्रावधान आर्म्स एक्ट 1959 के धारा 17(3) में प्रावधानित है - Section 17(3):- The licensing authority may be order in writing suspend a licence for such period as it thinks fit or revoke a licence,- (a) if the licensing authority is satified that the holder of the licence is prohibited by this Act or by any other law for the time being in force, from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition, or is of unsound mind, or is for any reson unfit for a licence under this act; or	

19.5. 2025	(b) if the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or for the public safety to suspend or revoke the licence; or (c) if the licence was obtained by the suppression of material information or on the basis of wrong information provided by the holder of the licence or any other person on his behalf at the time of applying for it; or (d) if any of the conditions of the licence has been contravened; or (e) if the holder of the licence has failed to comply with a notice under sub-section (1) requiring his to deliver-up the licence. उभय पक्ष के बहस को सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी, अररिया द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-76/शस्त्र, दिनांक-28.03.2019) वस्तुतः जिला स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमिटि के बैठक दिनांक-25.03.2019 (ज्ञापांक-72/श0, दिनांक-26.03.2019) के अनुशंसा के आधार पर पारित किया गया है। सुनवाई में विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की ओर से संगत प्रावधानानुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित करने के संदर्भ में स्क्रीनिंग कमिटि का प्रावधान स्पष्ट नहीं किया जा सका। जिला दण्डाधिकारी, अररिया के अपीलाधीन आदेश (अथवा स्क्रीनिंग कमिटि की कार्यवाही) में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के विषय में संगत वैधानिक प्रावधानों के लागू होने के संदर्भ में साक्ष्य की विवेचना/Findings Record किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। विपक्षी की ओर से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के एक मात्र आधार पर अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने का प्रावधान अथवा Rule Position को Establish नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष को नहीं सुना गया है। जो Principle of Natural Justice का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी, अररिया के स्तर से संगत कानूनी प्रावधानों को Overlook (नजरअंदाज) करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश को खारिज किया जाता है। इस आदेश के प्रति के साथ LCR जिला दण्डाधिकारी, अररिया को अनुपालन हेतु वापस भेजें। Raj k. 19/5/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Raj k. 19/5/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक 2906 दिनांक 19/05/25

प्रतिलिपिः—1. समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला शस्त्र दंडाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक—126, दिनांक—11.07.2023 द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख वापस करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/05/25

प्रशाखा पदाधिकारी,
विधि प्रशाखा,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।